न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 14 / 16दायरा दिनांक 25.04.2016
आर.सी.एम.एस. नम्बर 2016 / 00116

पीठासीन अधिकारी :— श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

हरिओम पुत्र पुन्ना जाति कुम्हार निवासी नारायणखेडा तहसील शाहबाद जिला बारां— **प्रार्थी**

बनाम

1. बजरंगा पुत्र किशनलाल (मृतक) जाति सहरिया निवासी केलावाडा तहसील शाहबाद जिला बारां।
   वारिस पप्पू पुत्र बजरंगा जाति सहरिया निवासी केलावाडा तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां।
3. नायव तहसीलदार उप तहसील केलवाडा, तहसील शाहबाद जिला बारां।— **अप्रार्थीगण**

उपस्थिति :—

1. **अभिभाषक प्रार्थी — श्री प्रकाश चन्द नामदेव।**
2. **अभिभाषक अप्रार्थी— श्री वीरेन्द्र अग्रवाल।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970

निर्णय **दिनांक 29.08.2019**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू —राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने से व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थी से रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की तलवी की गई। अप्रार्थी क्रम 1 को नियम विरूद्ध भू—आवंटन सलाहकार समिति केलवाडा द्वारा दिनांक 13.02.1976 को ग्राम नारायणखेडा की कृषि भूमि खसरा संख्या 126 की 8 बीघा 17 बिस्वा में प्रार्थी के कब्जे काश्त की 4 बीघा $8^{1/2}$बिस्वा आवंटन नियम विरूद्ध की गई है जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त भूमि का आवंटन फ्रॉड एवं मिसरिप्रेजेन्टशन के आधार पर किया गया है। इस कारण उक्त अलोटमेन्ट निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अलोटशुदा आराजी ख. सं. 126 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में 4 बीघा $8^{1/2}$बिस्वा पर प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का कितने ही वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त है और वर्तमान में भी है। प्रार्थी ने इस वर्ष भी फसल गेहूँ बोयी व काटी है। अप्रार्थी अलोटी बजरंगा का कभी भी इस आराजी पर कब्जा नहीं रहा, ना ही अलोटमेन्ट के बाद कभी भी काश्त की है। अलोटी बजरंग का इन्तकाल हो चुका है। और अलोटी के पुत्र पप्पू कायममुकामान है जिसके खिलाफ पक्षकार बनाया जाकर यह अपील प्रस्तुत है। अप्रार्थी पप्पू ने भी आज तक कभी भी इस अलोटशुदा आराजी पर काश्त नहीं की, ना ही बजरंग को ना ही पप्पू को इस अलोटशुदा आराजी का आज तक पता भी नहीं है, और कब्जे काश्त के अभाव में यह अलोटमेन्ट अलोटी कानूनन खारिज होने योग्य है। अलोटमेन्ट के समय नारायखेड़ा ग्राम केलवाडा पंचायत में था अब नारायणखेडा गांव की पंचायत खुशियारा हो गयी है। अलोटमेन्ट के पूर्व अलोटमेन्ट कमेटी ने अनओक्यूपाइड लेण्ड की कोई सूची तैयार नहीं की ओर न ही कोई उद्घोषणा ही नियमानुसार जारी की। इस कारण से भी यह अलोटमेन्ट निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी गरीब भूमिहीन व्यक्ति है, जिसके स्वयं के खाते में बिल्कुल भी जमीन नहीं है। प्रार्थी बाल बच्चेदार व्यक्ति जिनके पोषण का एकमात्र सहारा यही आराजी है। प्रार्थी ने कडी मेहनत एवं

रूपया खर्च कर इस आराजी को काबिल काश्त बनाया है प्रार्थी का कब्जा काश्त वदस्तूर खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैरमुस्तकिल में नियमानुसार दर्ज है। इस कारण भी अलोटमेन्ट निरस्तनीय है। अलोटमेन्ट कमेटी ने अलोटमेन्ट नियमों की कोई पालना नहीं की न ही अलोटी ने इस कारण भी अलोटमेन्ट निरस्तनीय है। अलोटी ने कभी भी काश्त नहीं की और न ही वारिसान पप्पू ने। उक्त अलोटमेन्ट का प्रथम ज्ञान प्रार्थी को हल्का पटवारी खुशियारा के पास टी.पी. दर्ज की कहने हेतु जाने हेतु दिनांक 18.04.2016 को हुआ। प्रार्थी को ज्यों ही ज्ञान हुआ नकल आवंटन आदेश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.04.2016 को प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थी को उक्त आदेश की नकल तैयार होकर दिनांक 20.04.2016 को दी गयी। आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। नकल प्राप्त के बाद प्रार्थी बीमार हो गया। इसके पूर्व की डिले कन्डोम फरमायी जाने योग्य है। इसी प्रार्थना पत्र साथ भारतीय मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र दफा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.05.2014 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि मेरा आवंटन ख.नं. 126 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा सन् 1976 का है। ग्राम नारायखेडा की आराजी है। 1976 को 43–44 वर्ष हो चुका है। 44 साल बाद सहरिया जनजाति के व्यक्ति के आवन्टन निरस्त की कार्यवाही ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा रही है। जिसके मनोज 28 वर्ष, हरिओम का जन्म आवंटन के समय नहीं हुआ। आवंटन निरस्त की कार्यवाही जब होगी जब आवंटन में कोई फ्रोड या अनियमितता की गई हो। नायव तहसीलदार द्वारा केलबाडा द्वारा इरादतन रिपोर्ट की गई है। तहसीलदार लेडहोल्डर पक्षकार है। तहसीलदार को आपत्ति थी तो तहसीलदार को 14(4) का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था। अतः सहरिया व्यक्ति का आवंटन निरस्त करना न्यायहित में नहीं है।

उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी हरिओम का सिवायचक भूमि ख.न. 126 रकबा 6 बीघा पर अतिक्रमण खसरा परीवर्तनशील में अंकित है। ख.न. 496/126 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का कब्जा मुताबिक रिकार्ड ख.न. 126 की सिवायचक भूमि पर होना पाया जाता हैं। अप्रार्थी के पिता बजरंगा को ख.न. 126 में से अवंटित भूमि अलग हैं जो कि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में अंकित है। प्रार्थी का कथन कि वह अप्रार्थी की अवंटित भूमि पर काबिज है सही प्रतीत नही होता हैं।अतः प्रार्थी द्वारा ख.न. 126 रकबा 6 बीघा के बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) सारहीन होने से खारिज किया जाता है।पत्रावली निर्णय में फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तार हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 12:44:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: